

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

Helpline No.:-(+91)-

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

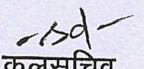
क्रमांक: प.()/जरारासंविधि/सा.प्र0/26/

दिनांक:-

जंगली विलायती कीकर, बबूल का जड़ मूल से निस्तारण की खुली-बोली/नीलामी सूचना

विश्वविद्यालय परिसर एवं परिसर के सामने स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिरे हुए/उगे हुए जंगली विलायती कीकर, बबूल का जड़ मूल से निस्तारण हेतु अधिकृत व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों/फर्मों/एकल स्वामित्व आदि, जो इस तरह के कार्य हेतु पंजीकृत हैं को नीलामी में आमंत्रित किया जाता है।

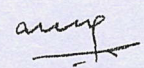
नीलामी दिनांक 21.10.2026 को दोपहर 3.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में रखी गई है। पंजीकृत बोली दाताओं को अमानत/बयाना राशि रुपये 5000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) दिनांक 21.10.2026 प्रात 11.30 बजे तक बैंक चालान/डी.डी.(कुलसचिव जरारासंविधि, जयपुर के नाम)/रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर भाग लेने हेतु अनुमत किया जाएगा। अनुमानित बिड राशि 90,000 (अक्षरे रुपये नब्बे हजार मात्र) है। शेष समस्त शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी जिसको खुली-बोली/नीलामी सूचना में देखी जा सकती है।


कुलसचिव
जरारासंविधि, जयपुर

क्रमांक: प.()/जरारासंविधि/सा.प्र0/26/5632-38
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 7/10/26

1. निजी सचिव, माननीय कुलगुरु महोदय, जरारासंविधि, जयपुर।
2. निजी सहायक कुलसचिव, महोदय, जरारासंविधि, जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक, महोदय, जरारासंविधि, जयपुर।
3. सहायक कुलसचिव सामान्य प्रशासन/स्टोर जरारासंविधि, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, जरारासंविधि, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
5. प्रबंधक राजस्थान संवाद जयपुर को एक क्षेत्रीय या एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में प्रकाशन प्रेषित हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, जरारासंविधि, जयपुर।


कुलसचिव
जरारासंविधि, जयपुर



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

Helpline No.:-(+91)-

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

जंगली विलायती कीकर, बबूल का जड़ मूल से निस्तारण की खुली-बोली/नीलामी सूचना

बोली लगाने का समय व स्थान :- विश्वविद्यालय परिसर (प्रशासनिक भवन)

निविदा विक्रय एवं जमा कराने की अंतिम तिथि :-

निविदा शुल्क :- 1000 रु. (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र)

मैं/हम.....

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित नीलामी का ठेका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुबंध की शर्तों के अनुसार लेना चाहता हूँ/चाहते हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. आवेदनकर्ता/संस्था का नाम
पत्र व्यवहार का पूरा पता (मय ID साक्ष्य)
2. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व नोगिनी फार्म
(मय हस्ताक्षर सील)
टेलिफोन नं.
मोबाईल नं.
फर्म का ई-मेल आई.डी.
3. नीलामी शुल्क जमा करवाने का विवरण राशि रु.
चालान सं. दिनांक राशि
ड्राफ्ट द्वारा- ड्राफ्ट नं. व बैंक का नाम दिनांक राशि
(चालान की प्रति संलग्न करें)
4. अमानत राशि जमा करवाने का विवरण राशि रु.
चालान सं. दिनांक राशि
ड्राफ्ट द्वारा- ड्राफ्ट नं. व बैंक का नाम दिनांक राशि
(चालान की प्रति संलग्न करें)
5. आयकर पैन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न)
6. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रमाण पत्र :-
7. फर्म का बैंक खाता विवरण (चैक की फोटो प्रति संलग्न करें)
बैंक का नाम:- खाता संख्या
बैंक आई.एफ.एस.सी कोड

मैं/हम जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर एवं परिसर के सामने स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिरे हुए/उगे हुए जंगली विलायती कीकर, बबूल का जड़ व मूल से निस्तारण करने हेतु नीलामी सूचना प्रपत्र में अंकित सभी शर्तें भली-भांति पढ़ जी हैं मैं/हम इन शर्तों से सहमत हैं तथा आदेश मिलने पर उन शर्तों से बाध्य रहूंगा/रहेगें। निविदा में गेरे/हगारे द्वारा जो विवरण अंकित किया गया है वह पूरी तरह सही है। उसमें किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो गेरे/हगारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

बोलीदाता फर्म का नाम

पता एवं मोबाईल नम्बर

.....

.....



जंगली विलायती कीकर, बबूल का जड़ मूल से निस्तारण की

खुली-बोली/नीलामी हेतु निर्धारित सामान्य सेवा शर्तें

1. नीलामी, विश्वविद्यालय परिसर में नीलागी कमेटी के समक्ष आयोजित की जावेगी।
2. जंगली विलायती कीकर, बबूल की बोली सरकारी दर से प्रारम्भ करनी होगी।
3. केवल पंजीकृत (रजिस्टर्ड) निविदाताओं को ही बोली में भाग लेने हेतु अनुमति दी जावेगी।
4. सशर्त बोली निरस्त कर दी जावेगी।
5. अधिकतम बोलीदाता की दरें स्वीकृत की जावेगी। यदि विश्वविद्यालय बोली दाताओं की दरों से संतुष्ट नहीं हो तो विश्वविद्यालय को बोली को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. अमानत राशि जमा कराकर कोई भी रजिस्टर्ड फर्म/व्यक्ति नीलामी/खुली बोली में भाग ले सकता है।
7. बिना जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म/व्यक्ति तथा बिना अमानत राशि के कोई व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग नहीं ले सकेगी।
8. सफल बोली दाता को बोली राशि की 25% राशि तुरन्त बोली समाप्ति पर जमा करवाकर चालान जमा करवाना होगा। शेष 75% राशि जंगली विलायती कीकर, बबूल उठाने से पूर्व विश्वविद्यालय कोष में जमा करानी होगी।
9. जंगली विलायती कीकर, बबूल को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस में परिसर से उठानी होगी। यदि सफल बोलीदाता फर्म/व्यक्ति द्वारा जंगली विलायती कीकर, बबूल को 15 दिवस में विश्वविद्यालय से नहीं उठाया जाता है तो बोली राशि की 25% जमा राशि एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी तथा द्वितीय बोलीदाता को कार्यदेश दिया जावेगा।
10. जंगली विलायती कीकर, बबूल हेतु नियमानुसार जीएसटी सफल बोलीदाता को कुल विक्रय मूल्य पर अपने स्तर से जमा करवाकर चालान की प्रति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने के बाद ही सामग्री उठाने दी जावेगी।
11. अमानत राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त की जावेगी।
 - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब निविदादाता संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने में असफल रहा हो।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपद्धत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
12. नीलामी योग्य जंगली विलायती कीकर, बबूल को किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय परिसर में आकर देखा जा सकता है।
13. जंगली विलायती कीकर, बबूल जहाँ है जैसी है के आधार पर नीलामी की जावेगी। जंगली विलायती कीकर, बबूल निकालने, भरने का कार्य ठेकेदार (बोलीदाता) स्वयं या अपने मजदूरों से कराएगा। जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। जंगली विलायती कीकर, बबूल निकालने/भरने समय/ले जाते समय विश्वविद्यालय परिसर व कक्षों में रखे हुए विश्वविद्यालय फर्नीचर अथवा अन्य कार्यालय सामग्री, सामान इत्यादि का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान/क्षति नहीं हो, इस हेतु सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा अन्यथा नुकसान/क्षति होने पर उसका हर्जाना फर्म को विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा।



Helpline No.:-(+91)-

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-महाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाइट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com फ़ोन नं. 0141-2850551-75

14. सफल बोली दाता जंगली विलायती कीकर, बबूल को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर ले जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जावेगी।
 15. बोली स्वयं या फर्म के अधिकृत व्यक्ति प्रतिनिधि द्वारा लगाई जा सकेंगी।
 16. जंगली विलायती कीकर, बबूल उतारने/भरने के लिए टोकन या वाहन विश्वविद्यालय में कार्यालय समय 10:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक ही मांगनी होगी। अपराह्न 04:30 बजे पश्चात् अथवा अवकाश दिवस में आपके कारी भी वाहन/प्रतिनिधि को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
 17. बोली के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा।
 18. कार्यालय/संबन्धित अधिकारी द्वारा बुलाने पर ठेकेदार को कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा तथा आवश्यक उचित/सलाह की पालना करनी होगी।
 19. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
 20. ठेकेदार संविदा को या उसके सारवान भाग को किसी भी एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लेट) पर नहीं देगा।
 21. विश्वविद्यालय को किसी भी समय पर बोली को स्थगित/निरस्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।
 22. निविदादाता द्वारा सामग्री को काटना/जड़ से उखाड़ना/वाहन में भरना/भूमि पुनः समतल करने का कार्य स्वयं के खर्च पर करवाना होगा।
 23. समस्त प्रकार के विवादों में अंतिम फैसला विश्वविद्यालय के मा० कुलपति महोदय का होगा।
 24. सफल बोलीदाता को वर्तमान में प्रचलित दर से जीएसटी का चालान पृथक से सरकार को जमा करवाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करवाये जाने पर ही अमानत राशि लौटायी जावेगी।
 25. अंतिम बोली छुटने के बाद तथा जंगली विलायती कीकर, बबूल को विश्वविद्यालय परिसर से उठाने से पूर्व इस आशय का एक शतथपत्र (राशि रुपये 100/- के स्टॉप पर) देना होगा कि विश्वविद्यालय परिसर के बाहर निकलते ही लकड़ी के संबंध में समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
 26. जंगली विलायती कीकर, बबूल की प्राप्ति होने वाली लगती इत्यादी का फर्म द्वारा कोई दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।
- मुझे समस्त शर्तें स्वीकार हैं तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य हैं, यदि असत्य पाई जाती है तो बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को होता है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

फर्म का नाम :- _____

फर्म का पता :- _____

मोबाइल नंबर :- _____

फर्म की स्थिति अधिकृत व्यक्ति का नाम बोली

नं. :- _____